



2026:AHC: 171066

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 255/1988

सुलेमान उर्फ टुण्डा और अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: अनिल कुमार, अविजित सक्सेना, बी.आर. सिंह, राम बदन मौर्य, रंजीत सिंह, सतीश कुमार पांडेय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या- 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. यह आपराधिक अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम), मैनपुरी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 175 वर्ष 1987 (राज्य बनाम सुलेमान उर्फ टुंडा और अन्य), जो थाना करहल, जिला मैनपुरी के मुकदमा अपराध संख्या 202 वर्ष 1986, भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 452, 323/34 से उत्पन्न हुआ है, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 02.01.1988 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अंतर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है।

2. इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी संख्या 1 सुलेमान उर्फ टुंडा और अपीलार्थी संख्या 2 इस्लाम की मृत्यु हो गई है, इसलिए, आदेश दिनांक 01.04.2026 के माध्यम से उनकी ओर से अपील उपशमित हो गई है। अभियुक्त/अपीलार्थी संख्या 3 और 4, सलीम और नरेश अभी भी जीवित हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. संक्षेप में अभियोजन का प्रकरण यह है कि 21.09.1986 को सुबह लगभग 10:00 बजे शिकायतकर्ता अच्छे लाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था। सुबह लगभग 10:00 बजे सुलेमान उर्फ टुंडा, इस्लाम उर्फ करुआ, सलीम और नरेश लाठी, डंडे और मोटरसाइकिल की चेन से लैस होकर वहां पहुंचे। नरेश ने शिकायतकर्ता को चेन से पीटना शुरू कर दिया और अन्य लोगों ने उसकी पत्नी और बेटे को पीटना शुरू कर दिया। सुलेमान उर्फ टुंडा और इस्लाम ने सूचनादाता की गर्दन पर लाठी रख दी और दोनों तरफ खड़े होकर उसे दबाया। सूचनादाता बेहोश हो गया। बेटे और पत्नी के शोर मचाने पर बलवीर सिंह, लज्जाराम यादव, भरत सिंह और अन्य लोग वहां आए और उसकी गर्दन से लाठी हटाई। खेत से जाने के बाद अभियुक्तों ने गंगा देवी के घर में अतिचार किया और बहू श्रीमती सुख देवी तथा उनकी कुमारी मंजू के साथ मारपीट की। संबंधित पुलिस स्टेशन में 28.09.1986 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। 21.09.1986 को दोपहर लगभग 1.15 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करहल में घायल व्यक्तियों सुख देवी, रामवती, श्री कृष्ण और अच्छे लाल का परीक्षण किया गया, जिसमें सूचनादाता और घायल व्यक्तियों के शरीर पर चोटें दर्ज की गईं।

4. मजरूबी चिट्ठी तैयार की गई और घायल अच्छे लाल, रामवती, सुख देवी, श्री कृष्ण को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उसी दिन दोपहर लगभग 1.15 बजे उनकी चोटों का परीक्षण किया गया।

5. विवेचना के पश्चात, विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 452 और 323/34 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

6. संबंधित विद्वान न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के प्रावधानों का अनुपालन करने के पश्चात, मामले को विचारण के लिए सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34, 323/34 और 452 के अंतर्गत आरोप विरचित किए, जिन्हें अपीलार्थियों को पढ़कर सुनाया और समझाया गया। उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया और आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मांग किया, जिसके परिणामस्वरूप वाद अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. अपने वाद के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू.1 अच्छे लाल; पी.डब्ल्यू.2 सुख देवी; पी.डब्ल्यू.3 श्रीकृष्ण; पी.डब्ल्यू.4 इरफान; पी.डब्ल्यू.5 डॉ. एस.के. दीक्षित और पी.डब्ल्यू.6 उपनिरीक्षक आर.डी. त्यागी का परीक्षण किया।

9. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात, बचाव पक्ष में प्रवेश करने से पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने घटना और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को झूठा बताया। उन्होंने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

10. अभियुक्तों/अपीलार्थियों के साथ-साथ राज्य के तर्कों को सुनने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 02.01.1988 पारित किया।

11. दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर, अपीलार्थियों द्वारा यह आपराधिक अपील प्रस्तुत की गई है, लेकिन अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी संख्या 1 और 2 की मृत्यु होने के कारण, उनकी ओर से अपील उपशमित हो गई, यद्यपि अपीलार्थी संख्या 3 और 4 जीवित हैं।

12. अपीलार्थी संख्या 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मामले के गुण-दोष में जाए बिना अपने तर्क को सजा की सीमा तक सीमित रखा। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ष 1986 में हुई कथित घटना के समय अपीलार्थी युवा थे और अब उनकी आयु 65 और 70 वर्ष से अधिक हो गई है। घटना 21.09.1986 को हुई बताई जाती है और अब तक लगभग 40 वर्ष बीत चुके हैं। इन कारकों के दृष्टिगत, उन्हें प्रथम बार अपराध करने वाले होने का लाभ देते हुए परीक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए, इसलिए, सजा को संशोधित और कम करने का अनुरोध किया गया।

14. विद्वान ए.जी.ए. ने पूर्वोक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया लेकिन इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि अपीलार्थियों की आयु लगभग 65 और 70 वर्ष है, वे वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित हैं और घटना की तिथि से लेकर अब तक 40 वर्ष बीत चुके हैं।

15. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तों को अपराधी परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाए। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी सलीम और नरेश घटनास्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने घायल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अच्छे लाल की गर्दन पर लाठी रखकर उसे दोनों तरफ से दबाया और सूचनादाता की पत्नी तथा बेटे के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे अन्य व्यक्तियों द्वारा उन्हें हटाया गया, यहां तक कि गंगा देवी के घर में अतिचार भी किया जहां उन्होंने हमला किया जिसमें चार व्यक्तियों को चोटें आईं, इसलिए, अपीलार्थियों के कृत्य की प्रकृति के दृष्टिगत, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ अपीलार्थियों को नहीं दिया जा सकता है। दूसरी ओर, कथित घटना के समय अपीलार्थी सलीम की आयु लगभग 25 वर्ष और अपीलार्थी नरेश की आयु लगभग 30 वर्ष थी और अब घटना की तिथि से 40 वर्ष बीत जाने के बाद, अपीलार्थी सलीम 65 वर्ष का और अपीलार्थी नरेश 70 वर्ष का हो गया है और कथित तौर पर वे वृद्धावस्था की दुर्बलताओं से पीड़ित हैं।

16. इस न्यायालय के सुविचारित मत में, अपराध की प्रकृति, समय के अंतराल और अपीलार्थियों की आयु को देखते हुए, सजा की शेष अवधि काटने के लिए अपीलार्थियों को जेल भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि अपीलार्थियों के विरुद्ध सजा देने के स्थान पर जुर्माना लगाना न्यायसंगत होगा और इसे घायलों या उनके उत्तरजीवियों को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जाएगा।

17. तदनुसार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध दी गई सजा को अपीलार्थियों अर्थात् सुलेमान और नरेश में से प्रत्येक पर 20,000/- रुपये के जुर्माने में संशोधित किया जाता है और वह राशि घायल व्यक्तियों या उनके उत्तरजीवियों को आनुपातिक रूप से प्रतिकर के रूप में भुगतान की जाएगी।

18. इस प्रकार, यह आपराधिक अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है और अपीलार्थियों के विरुद्ध दी गई सजा को प्रत्येक अपीलार्थी के लिए 20,000/- रुपये के जुर्माने की सीमा तक संशोधित किया जाता है, जिसे आज से 40 दिनों के भीतर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा किया जाना है, जिसे घायलों या उनके उत्तरजीवियों को आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा। व्यतिक्रम की स्थिति में, अपीलार्थी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा के शेष भाग को भुगतेंगे।

19. आवश्यक अनुपालन के लिए मूल विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए। दो माह के भीतर इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए। कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट अभिलेख पर रखने का निर्देश दिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13 अगस्त, 2026

अनुराग सिंह

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”